

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
शारदा सहायक खण्ड-32,  
आजमगढ़

**प्रेस विज्ञप्ति/निविदा सूचना**  
**ई-निविदा आमंत्रण के सम्बन्ध में**

इस खण्ड के अधीन सिल्ट सफाई से सम्बन्धित कुल 09 कार्यों हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1516/शा0स0ख0-32/ई-टेण्डर/2018-19/दिनांक 16.10.2018 एवं निविदा सूचना संख्या-01/अ0अ0/2018-19, के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके आनलाइन प्रकाशन की तिथि 25.10.2018 एवं निविदाओं को डाउनलोड/डालने की तिथि 25.10.2018 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 29.10.2018 अपरान्ह 2:00 बजे तक है। ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी (Technical Bid) निविदायें खोलने की तिथि 29.10.2018 दोपहर 3:00 बजे है। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें एवं विवरण <http://e-tender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता  
शारदा सहायक खण्ड-32  
आजमगढ़

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता  
शारदा सहायक खण्ड-32,  
आजमगढ ।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना विभाग, उ0प्र0,  
लखनऊ ।

पत्रांक:- /शा0स0ख0-32 /ई-टेण्डर / 2018-19 / दिनांक: 2018

विषय:- अति अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 01 /अ0अ0 / 2018-19

महोदय,

शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ के ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01 /अ0अ0 / 2018-19 की छः प्रतियां सी0डी0 सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया इस क्षेत्र के किन्ही दो बहुप्रचारित समाचार पत्रों में दिनांक 26.10.2018 के पूर्व एक दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

**संलग्नक:-छः अदद टेण्डर नोटिस सी0डी0 सहित।**

भवदीय,

अधिकाशासी अभियन्ता  
शारदा सहायक खण्ड-32  
आजमगढ

पत्रांक:- /शा0स0ख0-32 /टेण्डर /तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को बेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 2-मुख्य अभियन्ता (शा0स0) सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ
- 3-अधीक्षण अभियन्ता चतुर्दशम् मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ।
- 4-जिलाधिकारी, आजमगढ।
- 5-पुलिस अधीक्षक, आजमगढ।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ।
- 7-एन0आई0सी0 आजमगढ।
- 8-अधिकाशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-23, आजमगढ, 16, सुल्तानपुर /सिंचाई खण्ड जौनपुर /बाढ़ खण्ड आजमगढ।
- 9-सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ।
- 10-नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिकाशासी अभियन्ता  
शारदा सहायक खण्ड-32  
आजमगढ

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**  
**शारदा सहायक खण्ड-32,**  
**आजमगढ़**

**ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अति अल्पकालीन**  
**निविदा सूचना संख्या- 01/अ0अ0/2018-19**

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निविदा वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 29.10.2018 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 29.10.2018 को दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष आनलाईन खोली जायेगी। बिड दिनांक 25.10.2018 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 29.10.2018 अपरान्ह 2:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

लाट सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 में	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	निजामाबाद राजवाहा के किमी0 25.000 से किमी0 34.500 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	4.00	0.40	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
2	रैसिंगपुर माइनर के किमी0 0.000 से किमी0 10.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	3.00	0.30	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
3	फरिहा राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 7.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	3.20	0.32	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
4	तकिया राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 10.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	4.20	0.42	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
5	घोसी राजवाहा के किमी0 8.000 से किमी0 15.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	3.00	0.30	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
6	दोहरीघाट समानान्तर नहर के किमी0 9.600 से किमी0 12.600 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	4.00	0.40	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
7	नागपुर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 6.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	3.00	0.30	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
8	चण्डेश्वर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 6.000 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	3.00	0.30	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी
9	आजमगढ़ राजवाहा के किमी0 78.500 से किमी0 88.750 तक मशीन द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य।	5.00	0.50	21 दिवस	550.00	C एवं उच्च श्रेणी

**नियम एवं शर्तें:-**

**प्रत्येक निविदादाता को:-**

- 1-यह निविदा/बिड सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट <https://upgov.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाइट (<http://information.up.nic.in>) तथा सिंचाई विभाग के वेबसाइट (<http://irrigation.up.nic.in>) पर उपलब्ध है।
- 2-यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत, चरित्र प्रमाण पत्र IDT-1, हैसियत प्रमाण पत्र IDT-2, स्वघोषणा पत्र IDT-3 एवं समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में वे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
- 3-पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-2) स्व घोषणा शपथ-पत्र (IDT-3) को अनुबन्ध के समय मूलरूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा समस्त पत्रों की स्कैण्ड कॉपी निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। शासनादेश संख्या-52/1439/17-27-सिं0-03-07/विविध/17, दिनांक 09.10.2017 के अनुसार अनुबन्ध के समय मूल रूप में वॉछित प्रमाण-पत्र/प्रतिभूति उपलब्ध न कराने की स्थिति में शासनादेश संख्या-52/1439/17-27-सिं0-03-07/विविध/17, दिनांक 09.10.2017 के बिन्दु संख्या-03 के आलोक में कार्यवाही की जायेगी।
- 4-उक्त कार्य का सम्पादन विभागीय विशिष्टियों तथा नवीनतम शासनादेश संख्या-99/2017/836/17-27-सिं0- 4-46

(डब्लू)/12 दिनांक 12.05.2017 के अनुरूप किया जायेगा।

- 5-कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति के हैं तथा नहर बन्दी अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य है। विलम्ब होने की दशा में अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती की कार्यवाही की जा सकती है।
  - 6-निविदा के टेण्डर सेल की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखाशीर्षक 070102800010000 में कोषागार कोड-2020, डी0डी0ओ0-4801 में ठेकेदार द्वारा कार्य का नाम एवं फर्म/ठेकेदार का नाम पता भरकर उत्तर प्रदेश के किसी ट्रेजरी/भारतीय स्टेट बैंक में जमा करना होगा, जिसकी स्कैण्ड कापी अपलोड करनी होगी, अन्यथा निविदा को Nonresponsive मानते हुए विचार नहीं किया जायेगा।
  - 7-धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के नाम/पक्ष में बन्धक तथा आजमगढ़ में देय होना अनिवार्य है, जिसकी स्कैण्ड कापी आनलाइन अपलोड कराना होगा। अर्नेस्टमनी/धरोहर धनराशि बैंक गारण्टी के रूप में मान्य नहीं होगी।
  - 8-प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ रू0 100.00 रुपये का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1.00 रुपये की रसीदी टिकट लगाकर लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
  - 9-कार्यस्थल के आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी व बढ़ायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
  - 10-निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।
  - 11-अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
  - 12-निविदादाता/विडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने अथवा वर्णित हो जाने के कारण निविदा न पडने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  - 13-निविदादाताओं को अपनी वैध ई-मेल आइडी भी उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है।
  - 14-कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
  - 15-राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध /पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल आदेश प्रख्याप्ति कर निरस्त कर दिया जायेगा।
  - 16-कोई भी निविदा दाता निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदा दाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
  - 17-यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदा दाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
  - 18-निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-522/23.12.2012-2 आडिट/08टी0सी0-2, दिनांक 08.06.2012 के अनुसार "10 प्रतिशत (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर" पर पर्फार्मेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
  - 19-निविदा दाता द्वारा स्थायी लेखा संख्या (PAN) एवं वस्तु एवं सेवा कर (GST) अथवा व्यापारी पहचान संख्या (TIN) दिया जाना आवश्यक है।
  - 20-सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
  - 21-निविदादाता केवल एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।
  - 22-नियमानुसार लेबरसेस कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जायेगी।
  - 23-शासनादेश संख्या-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2, दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
  - 24-एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
  - 25-प्रत्येक निविदा दाता को निम्न जानकारी/अभिलेख की स्कैण्ड कापी टेक्निकल बिड के साथ अपलोड/डाउनलोड करना होगा।
- (क) वैध पंजीयन की मूल प्रति।  
(ख) समान या उच्च लागत के कार्यों का एकल अनुबन्ध जो कि अनुबन्ध में निर्धारित समय/अवधि में पूर्ण किया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण पत्र।  
(ग) IDT-1, IDT-2, IDT-3 (स्व घोषणा पत्र) प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।  
(घ) धरोहर धनराशि का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रूप में।  
(ङ) रू0 100.00 रुपये का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर 1.00 रुपये की रसीदी टिकट लगाकर लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी(मूल प्रति)।

#### **विशेष शर्तें-**

- 1-नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य में निकाली गयी सिल्ट/मिट्टी Engineer-in-charge के निर्देशानुसार उचित डिस्पोजल/ड्रेसिंग करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में तदनुसार दरों में कटौती कर दी जायेगी, जिस हेतु ठेकेदार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा। नहर की बेड में उचित रूप से ड्रेसिंग एवं लाइन डोरी इत्यादि लगाकर कार्य कराया जाना होगा।
- 2-सिल्ट सफाई का कार्य नहर बन्दी अवधि में ही पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में भुगतान किया

- जाना सम्भव नहीं होगा।
- 3-अनुबन्ध का गठन उपलब्ध बजट आवंटन के आधार पर किया जायेगा।
  - 4-पुलों के नीचे की सिल्ट/मिट्टी की सफाई कराना अनिवार्य होगा।
  - 5-निविदा प्रपत्र में वर्णित कार्य समय-समय पर प्रचलित सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराना होगा।

**अधिकासी अभियन्ता**  
**शारदा सहायक खण्ड-32**  
**आजमगढ़**